फर्द अहकाम

नियम 26

ज अदालत उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा मुकाम भादरा

अंकित आदि बनाम कृष्ण कुमार आदि

किस्म मुकदमा 212 RTACT नं० 61/25.10.2021 सन 2021

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख फर्द अहकाम की हुक्म की तामील जारी हुआ
-21	आज यह प्रकरण जरिये वकील प्रार्थी की ओर से पेश किया गया। रिपोर्ट सिगेदार होने के बाद प्रकरण दर्ज रजिस्टर हो। अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. डाक से तामिल हेतु नोटिस जारी हो। पत्रावली दिनांक 02.11.2021 को पेश हो।	
23/11/21	पत्रावली आज रजिस्टर्ड डाक तामिल हेतु प्राप्त होने पर पेशी में ली गई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। बहस पर मनन करने एवं रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर प्रथमदृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में बनता है। अत: अप्रार्थीगण को आगामी तारीख पेशी तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जाता है कि वे वादाधीन रकबा तहसील भादरा के रोही मौजा चक 2 AMS के खाता संख्या 35/56 की कुल 2.4420 हैक्टेयर में अप्रार्थी संख्या 1 कृष्ण कुमार के नाम 1/4 हिस्सा दर्ज है, इसी प्रकार चक 5 AMS के खाता संख्या 20/67 की कुल 5.187 हैक्टेयर में अप्रार्थी संख्या 1 के नाम 557/5187 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। उक्त वाद भूमि को अप्रार्थी संख्या 1 कृष्ण कुमार को इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जाता है कि अपने हक व हिस्सा में आने वाली वाद भूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल न करें। अस्थाई निषेधाज्ञा [illegible] व हिस्सा पर ही लागू [illegible]। इस संबंध में अप्रार्थी [illegible] हो तो असालतन या वकालतन हाजिर होकर जवाब प्रार्थना पत्र पेश करें क्यों न प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अस्थाई आदेश ता फैसला कन्फर्म कर दिया जावे। पत्रावली वास्ते तलबी शेष हेतु दिनांक 17/12/2021 को पेश हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.04.03 13:00:30 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज
16/10/24	पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी ....[illegible]........ दिनांक 22-1-25 को पेश हो। (हस्ताक्षर)
22/1/25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली वास्ते तलबी अप्रार्थीगण दिनांक 19/3/25 को पेश हो। (हस्ताक्षर)
19/3/25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी/प्रार्थी स्वयं अनुपस्थित। बार-बार आवाज लगाई गई। बार-2 आवाज लगाने के उपरान्त भी कोई हाजिर अदालत नहीं होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 अदम हाजिरी/अदम पैरवी में खारीज किया जाता है। फाइल नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.04.03 13:00:30 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner